

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] No. 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 23, 2016/आषाढ़ 2, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2016/ASHADHA 2, 1938

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2016

सं. एम-12015/1/2016-एनएडी-9.—भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एसीएनएएस) पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है-

1. प्रो. के. सुंदरम

अध्यक्ष (गैर-सरकारी)

बी-103, बेलवेदरे पार्क,

डीएलएफ सिटी फेज III,

गुड़गांव-122002

2. प्रो. विश्वनाथ गोलदर,

सदस्य (गैर-सरकारी)

आर्थिक विकास संस्थान,

दिल्ली विश्वविद्यालय इनक्लेव,

दिल्ली-110007

3. डॉ. एस.एल. शेट्टी, निदेशक,

सदस्य (गैर-सरकारी)

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली,

रिसर्च फाउंडेशन, हितकारी हाऊस,

3144 GI/2016

284 शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई-400001

4. प्रो. एन. आर. भानुमूर्ति,

सदस्य (गैर-सरकारी)

राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान

18/2 सतसंग विहार मार्ग,

स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया,

नई दिल्ली-110067

5. डॉ. ए. सी. कुलश्रेष्ठ,

सदस्य (गैर-सरकारी)

पूर्व अपर महानिदेशक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के. सां. का.)

तथा संकाय सदस्य,

यूएन-एसआईएपी, जापान,

208-ई, द्वितीय तल, एमआईजी फ्लैट, राजौरी गार्डेन,

नई दिल्ली-110027

6. श्री. प्रताप नारायण,

सदस्य (गैर-सरकारी)

(विगत में राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, के. सां. का.),

बी-286, योजना विहार,

नई दिल्ली-110092

श्री आशीष कुमार, सदस्य (गैर-सरकारी)

(पूर्व महानिदेशक, के. सां. का.)

बी-8, टॉवर-5,

न्यू मोती बाग,

नई दिल्ली-110023

3. डॉ. ए. बी. चक्रवर्ती, सदस्य (गैर-सरकारी)

प्रतिदर्श तथा शासकीय सांख्यिकी यूनिट,

भारतीय सांख्यिकी संस्थान,

कोलकाता-700108

9. डॉ. चेतन घाटे, सदस्य (गैर-सरकारी)

भारतीय सांख्यिकी संस्थान,

नई दिल्ली

10. डॉ. एन. इगम्बरम, सदस्य (गैर-सरकारी)

(पूर्व उपमहानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, के. सां. का.)

11. डॉ. ए. गणेश कुमार, सदस्य (गैर-सरकारी) इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), जनरल ए.के. वैद्य मार्ग, गोरेगांव ईस्ट, मुम्बई-400065 12. महानिदेशक, सदस्य (सरकारी) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के. सां. का.), नई दिल्ली-110001 13. महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य (सरकारी) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), नई दिल्ली-110001 14. मुख्य सलाहकार, सदस्य (सरकारी) डाटा मैनेजमेंट तथा एनालाइसिस वर्टिकल (जिसे पूर्व में पीपीडी के नाम से जाना जाता था), नीति आयोग. नई दिल्ली-110001 15. आर्थिक सलाहकार, सदस्य (सरकारी) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 सदस्य (सरकारी) 16 मुख्य सलाहकार, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 17. आर्थिक सलाहकार, सदस्य (सरकारी) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 18. कार्यकारी निदेशक, सदस्य (सरकारी) (प्रभारी डीईपीआर/डीएसआईएम),

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

19. प्रभारी अधिकारी,

सदस्य (सरकारी)

आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर),

भारतीय रिजर्व बैंक,

मुम्बई

20. प्रभारी अधिकारी,

सदस्य (सरकारी)

सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम),

भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई

21. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

कर्नाटक सरकार,

बंगलूरू

22. निदेशक,

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

ओड़ीशा

23. निदेशक.

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

हिमाचल प्रदेश

24. निदेशक.

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

राजस्थान

25. निदेशक.

सदस्य (सरकारी)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,

नागालैंड

26. अपर महानिदेशक

सदस्य सचिव (सरकारी)

राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, के. सां. का.,

नई दिल्ली

2. डॉ. मनोज पांडा, सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे- 3. एसीएनएएस के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं-

डाटा बेस की समीक्षा तथा राष्ट्रीय लेखा-2008 (एसएनए-2008) प्रणाली की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों, टाइप स्टडीज आदि के जरिए आंकड़ों के संकलन के संबंध में सलाह देना;

- आर्थिक विश्लेषण, नीति निर्माण तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढावा देने
 के उद्देश्य से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के समेकन तथा प्रस्तुतीकरण हेतु कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए सलाह देना।
- ii. सरकार की वर्तमान नीतियों/प्रयासों के प्रभाव को जानने के लिए तथा विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों के लिए लेखों के अनुक्रम को विकसित करने हेतु कवरेज तथा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा संस्तुत, नए वर्गीकरणों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के विकास हेतु अध्ययन करने के संबंध में सलाह देना।
- iii. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा राष्ट्रीय लेखा से संबंधित समिति को सौंपे गए किसी भी अन्य मामले पर सलाह देना ।
- 4. अध्यक्ष तथा पैरा-I में उल्लिखित समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए 1000 रु. प्रतिदिन के हिसाब से बैठक शुल्क देय होगा। समिति की बैठक में भाग लेने के लिए स्थानीय यात्रा हेतु वे परिवहन शुल्क के भी हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, समिति की बैठक में भाग लेने के लिए वे वायु मार्ग द्वारा इकोनॉमी क्लास या रेल मार्ग द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से घरेलू यात्रा करने के पात्र होंगे। नगर-मुख्यालय से बाहर के गैर-सरकारी सदस्य कमरे के किराये और टीए/डीए हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमावली के अनुसरण द्वारा विनियंत्रित होंगे।
- 5. सिमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों का टीए/डीए पर होने वाला व्यय उनके अपने मंत्रालय/विभाग/संगठन वहन करेंगे।
- 6. सिमिति के अध्यक्ष, यदि आवश्यकता हो तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पूर्व अनुमित से विभिन्न विषयों से संबंधित विशेष मामलों तथा समस्याओं को निपटाने के लिए सदस्य (सदस्यों)/विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को सहयोजित कर सकते हैं। यदि सहयोजित सदस्य (सदस्यगण)/विशेषज्ञ (विशेषगण) गैर-सरकारी सदस्य हैं तो वे उक्त पैरा (4) में निर्धारित टीए/डीए तथा बैठक शुल्क के हकदार होंगे।
- 7. सलाहकार सिमिति की बैठक के आयोजन पर हुए खर्च तथा गैर-सरकारी सदस्यों को दिया गया भुगतान/प्रतिपूर्ति आदि का वहन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, के. सां. का., नई दिल्ली द्वारा लेखा शीर्ष 3454 (मुख्य शीर्ष) के तहत किया जाएगा।
- 8. सिमिति को राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, द्वारा सिचवीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 9. सिमिति का कार्यकाल पांच वर्ष या राष्ट्रीय लेखा के अगले आधार वर्ष संशोधन के पूरा होने तक, जो भी बाद में हो, के लिए होगा।
- 10. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 11. इसे एकीकृत वित्त प्रभाग के डायरी सं. 628/एएस एंड एफए/16, दिनांक 31.05.2016 की सहमित से जारी किया जाता है।

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(CENTRAL STATISTICS OFFICE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2016

No. M-12015/1/2016-NAD-9.—The Government of India hereby reconstitutes the Advisory Committee on National Accounts Statistics (ACNAS) with the following members:

1. Prof. K. Sundaram,

Chairman (Non-official)

B-103, Belvedere Park,

DLF City Phase III,

Gurgaon-122002

2. Prof. Biswanath Goldar

Member (non-official)

Member (Non-official)

Institute of Economic Growth

Delhi University Enclave

Delhi-110007

3. Dr. S.L. Shetty, Director

Economic & Political Weekly

Research Foundation, Hitkari House,

284 Shahid Bhagat Singh Road,

Mumbai-400001.

4. Prof. N.R. Bhanumurthy

Member (Non-official)

Member (Non-official)

Member (Non-official)

National Institute of Public Finance & Policy

18/2 Satsang Vihar Marg,

Special Institutional Area,

New Delhi-110067,

5. Dr. A.C. Kulshreshtha,

Former ADG, CSO and Faculty, UN-SIAP, Japan

208-E, 2nd Floor, MIG Flat

Rajouri Garden,

New Delhi-110 027

6. Shri Pratap Narain,

(formerly from NAD, CSO)

B-286, Yojana Vihar,

Delhi-110092

7. Shri Ashish Kumar

(Former DG, CSO)

B-8, Tower -5

New Moti Bag

New Delhi-110023

Member (non-official)

8. Dr. A. B. Chakrabarty,

Sampling and Official Statistics Unit

Indian Statistical Institute

Kolkata-700108

9. Dr. Chetan Ghate

Indian statistical Institute

New Delhi

Member (non-official)

Member (non-official)

10. Dr. N. Eagambaram

Indian statistical Institute

New Delhi

Member (non-official)

11. Dr. A. Ganesh Kumar Member (non-official) Indira Gandhi Institute of Development Research (IGIDR) Gen. A.K. Vaidya Marg Goregaon East Mumbai-400065 12. Director General Member (Official) Central Statistics Office (CSO) New Delhi-110001. 13. DG & Chief Executive Officer, Member (Official) National Sample Survey Office (NSSO), New Delhi -110001. 14. Principal Adviser, Member (Official) Data Management and Analysis Vertical (Earlier PPD) NITI Aayog, New Delhi -110001. 15. Economic Adviser, Member (Official) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi -110001 16. Principal Adviser, Member (Official) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare Krishi Bhawan. New Delhi -110001. 17. Economic Adviser, Member (Official) Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi 18. Executive Director, Member (Official) (In charge of DEPR/DSIM), Reserve Bank of India Mumbai. 19. Officer-in-charge, Member (Official) Department of Economic & Policy Research (DEPR) Reserve Bank of India, Mumbai 20. Officer-in-charge, Member (Official) Department of Statistics & Information Management (DSIM) Reserve Bank of India. Mumbai 21. Director, Member (Official) Dte. of Economics & Statistics Government of Karnataka,

Bangolore.

22. Director, Member (Official)

Dte. of Economics & Statistics Odisha

23. Director, Member (Official)

Dte. of Economics & Statistics Himachal Pradesh

24. Director, Member (Official)

Dte. of Economics & Statistics Rajasthan

25. Director, Member (Official)

Dte. of Economics & Statistics Nagaland

26. Additional Director General, Member Secretary (Official)

National Accounts Division, CSO, New Delhi

2. Dr. Manoj Panda, Member, National Statistical Commission (NSC) will be special invitee to the Committee representing the NSC.

- 3. The terms of reference for the ACNAS are:
 - (i) To review the data base and advise on data collection through sample surveys, type studies etc. for implementing the recommendations of the System of National Accounts-2008 (SNA-2008);
 - (ii) To advise on the methodology for compilation and presentation of National Accounts Statistics for purposes of economic analysis and policy and on promotion of research in the field of National Accounts Statistics.
 - (iii) To advise on undertaking studies for improvement of National Accounts Statistics in terms of coverage, adoption of new classifications recommended by the UN Statistics Division to capture impact of recent policies/efforts of the government and development of sequence of accounts for various institutional sectors.
 - (iv) To advise on any other matter referred to the committee by the National Statistical Commission in respect of national accounts.
- 4. The Chairman and other non-official members of the committee mentioned in Para-1 would be entitled to a sitting fee of Rs. 1000/- per day for attending the meetings. They will also be entitled to transport/transport charges for local travel for attending the meetings of the Committee. Besides, they will be eligible to travel by air in economy class or by rail in air-conditioned first class while undertaking domestic tours in connection with the meetings of the Committee. The room rent and TA/DA for the out-station non-official members will be regulated in accordance with the rules in force framed by the Ministry of Finance from time to time.
- 5. The expenditure of the official members on TA/DA etc. for attending the meetings of the Committee will be borne by their parent Ministry/Department/ Organization to which they belong.
- 6. The Chairman of the Committee may, if necessary, with prior approval of the Ministry of Statistics and Programme Implementation may co-opt member(s)/expert(s) for dealing with the specific issues and problems relating to different subjects. If the co-opted member(s)/expert(s) is/are non-official member(s), then they would be entitled for TA/DA and sitting fees etc as prescribed in the above para (4).
- 7.The expenditure on conducting the meetings of the Advisory Committee and the payments/ reimbursements etc made to non-official members would be borne by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, CSO, New Delhi under the Head of Account 3454 (Major head).
- 8. Secretarial assistance to the committee will be provided by the National Accounts Division, Central Statistics Office, Ministry of Statistics & P.I.

- 9. The tenure of this committee will be five years or till the completion of next base year revision of National Accounts, whichever is later.
- 10. The notification will come into force with immediate effect.
- 11. This issues with the concurrence of Integrated Finance Division vide its $\,$ Dy. No. 628/AS&FA/16 dated 31.05.2016

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.